

श्रीमान् पी.ओ. साहब आज  
 राजस्थान प्रान्तिय पत्र संख्या 14/2006  
 सत्रवार ५/ हरिराम वगैर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम को में जारी
29/19	<p>वकुलाय उपस्थित।                      श्रीमान् पी.ओ. साहब आज                      राजस्थान प्रान्तिय पत्र संख्या 14/2006                      सत्रवार ५/ हरिराम वगैर को पेश हो।</p>	
30.9.19	<p>वकुलाय उपस्थित।                      पत्रावली का अवलोकन किया। नगर पालिका स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 72/03 लीलाधर बनाम हरीराम व अन्य प्रकरण में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.12.03 की हुकम अदूली के संबंध में दिनांक 08.03.06 को यह अवमानना प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी संख्या 1-हरीराम पुत्र नाथुराम जाट 2. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नागौर 3. ताराचन्द पुत्र भंवरलाल माली को नोटिस जारी किये गये। आदेशिका दिनांक 4.4.06 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नोटिस स्वयं तामीलशुदा शामिल मिसल है एवं अप्रार्थी संख्या-1-हरीराम गैर हाजिर रहा है।</p> <p>स्वायत शासन विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक-प.8(ग) (8) नियम/डी.एल.बी./15/5843-6274 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा (2) के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई व निस्तारण करने हेतु संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को प्राधिकृत किये जाने से हस्तगत अवमानना प्रकरण से संबंधित उक्त नगर पालिका स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 72/03 लीलाधर बनाम हरीराम व अन्य की मूल पत्रावली न्यायालय हाजा के पत्रांक-कोर्ट/2019/706 दिनांक 27.08.2019 से संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जा चुकी है। चूंकि हस्तगत अवमानना प्रकरण से संबंधित मूल स्थगन पत्रावली संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जा चुकी है। अतः हस्तगत अवमानना प्रकरण की मूल पत्रावली भी प्रकरण में आगामी सुनवाई हेतु संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर को भिजवाई जावे। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से संबंधित अधिवक्ता को प्रकरण में तारीख पेशी 30.10.2019 को संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के न्यायालय में उपस्थित होने बाबत सूचित किया जावे। पत्रावली इस न्यायालय से फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

Noted  
 मन्मथ  
 के प्रदा पत्र संख्या 14/2006  
 को सत्रवार ५/ हरिराम वगैर  
 को पेश हो।  
 30.9.19

(दिनेश कुमार यादव)  
 जिला कलक्टर नागौर

